

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर

क्रमांक - जिशिअ/प्राशि/गंगा/मान्यता/12-13/1969

दिनांक - 28/3/2013

(आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत पुनः पंजीयन)

मान्यता कोड संख्यांक 0755

प्रबन्धक,

जिन्दल पब्लिक स्कूल,

महियावाली, श्रीगंगानगर।


विषय - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण -पत्र।


महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 30.03.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विधालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं जिन्दल पब्लिक स्कूल महियावाली (अग्रेजी माध्यम) को दिनांक 28.03.13 से 28.03.2016 तक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्वधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय कक्षा 1-4, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सौसायटी/विधालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि :-
  - ( I ) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - ( II ) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
  - ( III ) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - ( IV ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अध्वधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - ( V ) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशुल्कता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
  - ( VI ) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 ( I ) के अध्वधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

Attested

  
Principal  
Jindal Public School  
Mahiyawali  
School Code-10773

  
Chairman/Secretary/Treasurer  
Jindal Education & Social  
Development Society  
Mahiyawali (Sri Ganganagar)

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (I) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और


(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।


8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा -19 के अधिकशित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-  
विद्यालय परिसर का क्षेत्र 8376 वर्गमीटर  
कुल निर्मित क्षेत्र 1510.52 वर्ग मीटर  
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल 3500 वर्ग मीटर  
कक्षा कमरों की संख्या 20  
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह -भंडार कक्ष 02  
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 19  
पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।  
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई नहीं  
बाधा रहित पहुंच  
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 0755 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत, अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएँ।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएँ।
19. संलग्न उपाबन्ध- III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रा० शि० श्रीगंगानगर

**Attested**

  
**Principal**  
Jindal Public School  
Mahiyanwali  
School Code-10773

  
**Chairman / Secretary / Treasurer**  
Jindal Education & Social  
Development Society  
Mahiyanwali (Sri Ganganagar)